अध्याय–18
श्रम सांख्यिकी

श्रम ब्यूरो का संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य:

18.1 श्रम ब्यूरो सम्पूर्ण भारत स्तर पर श्रम के विभिन्न पहलुओं पर श्रम सांख्यिकी के एकत्रण, संकलन, विश्लेषण एवं प्रसार में 1946 में इसके प्रारम्भ से ही कार्यरत है । श्रम सांख्यिकी, कल्याण हेतु उपयुक्त नीतियां बनाने में सहायता करती है तथा श्रम बल के भिन्न–भिन्न खण्डों की स्थितियों में सुधार हेतु समुचित सुधारक उपायों के लिए सुझाव देती है । श्रम के विभिन्न पहलुओं पर सही आंकडों का आधार भिन्न–भिन्न नीति विषयों पर निर्णय लेने में सुविधाजनक होता हैं । ब्यूरो के मुख्य क्रियाकलापों में शामिल है:–

(i) औद्योगिक कर्मकारों; एवं कृषीय / ग्रामीण श्रमिकों, मजदूरी दर सूचकांक, इत्यादि के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन एवं रख–रखाव ।

(ii) संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों को शामिल करते हुए श्रम से संबंधित विषयों पर अन्य बातों के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मकार,बाल श्रम/ महिला श्रम, अनुबंध कर्मकार इत्यादि पर अनुसंधान अध्ययन एवं सर्वेक्षण संचालित करना,

(iii) श्रम के विभिन्न पहलुओं, जैसेकि रोजगार, मजदूरी और उपार्जन, अनुपस्थिति, श्रमिक आवर्त, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण सुख–सुविधाओं, औद्योगिक संबंध, इत्यादि पर भिन्न–भिन्न श्रम अधिनियमों और संचालित सर्वेक्षणों के अन्तर्गत स्वैच्छिक विवरणियों के आधार पर सांख्यिकीय सूचना का एकत्रण, संकलन और प्रसार करना ।

(iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर्मचारियों तथा विभिन्न राज्य एवं केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा समर्थित प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना ।

18.2 श्रम ब्यूरो के दो मुख्य खण्ड (विंग) चण्डीगढ और शिमला में हैं तथा चार क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर एवं एक उप–क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई में है ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

18.3 श्रम ब्यूरो द्वारा किये जा रहे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन एवं रख–रखाव नीचे वर्णित है:–

(क) औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (उ.मू.सू.–औ.क.)
(i) वर्तमान श्रृंखला (आधार 1982=100)

18.4 औद्योगिक कर्मकारों के लिए उ.मू.सू. (उ.मू.सू.–औ.क.) वस्तुओं की एक निर्धारित बास्केट के निश्चित समय में संबंधित पयरिवर्तनों और आधार वर्ष के संदर्भ सहित कर्मकार श्रेणी की जनसंख्या के द्वारा उपभोग की गई सेवाओं को मापते हैं । ये सूचकांक मात्र खुदरा मूल्यों की प्रवृत्तियों को दर्शाने हेतु उपयोगी नहीं हैं, बल्कि सरकार द्वारा इनका उपयोग महंगाई भत्ता निर्धारित करने, अर्थ–व्यवस्था के दोनों संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के मजदूरी नियमन के लिए भी किया जाता है ।

18.5 औद्यौगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(1982=100) 70** केन्द्रों तथा अखिल भारत स्तर पर एवं राज्यों की मांग पर 6 अतिरिक्त केन्द्रों के लिए 4 सप्ताह के अन्तराल के बाद प्रत्येक माह संकलित एचं जारी किये जाते हैं । इन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ब्यूरो की वेबसाइट में रखने के साथ–साथ ब्यूरो के मासिक जनरल ‘‘द इडियंन लेबर जनरल‘‘ में प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 1999 – 2000 से 2003 – 04 तक का मासिक सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्यौगिक कर्मकारों में मुद्रा स्फीती की दर सारणी 18.1 में दी गई है ।

(ii) नई श्रृंखला

18.6 **इस** स्कीम का मुख्य उद्देश्य, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उ.मू.सू. की वर्तमान श्रृंखला की संख्याओं के आधार वर्ष को अद्यतन बनाना है । इस संशोधन हेतु दो अनिवार्य घटक हैं:–

(i) लक्ष्ययुक्त जनसंख्या के नवीन कर्मकार श्रेणी परिवार आय एवं व्यय सर्वेक्षण के द्वारा दिए गए परिणामों के आधार पर भारण प्रतिमानों को अद्यतन बनाना; जो कि रोजगार के 7 क्षेत्रों में औद्यौगिक कर्मकारों के लिए है, और

(ii) नई मूल्य एकत्रण मशीनरी के गठन के द्वारा आधार वर्ष मूल्यों, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बाजारों का चयन, दुकानों का चयन, मदों के विनिर्देशन/किस्में निर्धारित करना, मूल्य संग्राहकों, मूल्य पर्यवेक्षकों और मूल्य समनव्यक की नियुक्ति तथा मूल्य एकत्रण दिवस निर्धारण, शामिल हैं; को अद्यतन बनाना ।

18.7 सभी 78 केन्द्रो के सम्बन्ध में आय एवं व्यय के मुख्य सर्वेक्षण पर आधारित भारण प्रतिमानों की व्युत्पत्ति से संबद्घ कार्य पूरा कर लिया गया है । क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र चंडीगढ़ के द्वारा विकसित साफटवेयर के प्रयोग से सभी 78 केन्द्रो के अनन्तिम सूचकांक जून 2003 तक संकलित कर लिए गये हैं । अनुवर्ती महिनों यानि जुलाई 2003 से आगे के लिए खुदरा मूल्य आंकड़ों को संकलन लिए उपयुक्त बनाने हेतु उनका एक्त्रण, प्रविष्टियां और संवीक्षा की जा रही हैं । मकान किराया पुर्नसर्वेक्षण के 5वें दौर का फील्ड वर्क भी प्रगति पर है । अनुवर्ती महीनों के लिए सूचकांक के संकलन का कार्य भी प्रगति पर है ।

18.8 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कर्मकार) श्रेणी पर आधारित अद्यतन कार्य की तकनीकी विवरण, मूल्य एवं जीवन निर्वाह, सांख्यिकी तकनीकी सलाहकार समिति के उप–समूह द्वारा निरीक्षित किया जा रहा है, जिसकी दो बैठकें पूर्व में ही हो चुकी है । एसपीसीएल की तकनीकी सलाहकार समिति के अनुमोदन के पश्चात इसको विमुक्त करने से पूर्व लिये आधार वर्ष के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) की स्वीकृति के लिए त्रिपक्षीय बैठक में विचार विमर्ष किया जाएगा ।

(ख) ग्रामीण श्रमिकों और कृषीय श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक.
{ सी.पी.आई. (आर.एल./ए.एल.) } (आधार:1986–87=100)

18.9 ग्रामीण श्रमिकों और इसके उपससूह कृषीय श्रमिकों हेतु उ.मू.सू. 20 राज्यों और सम्पूर्ण भारत के लिए 1986-87= 100 मासिक आधार पर संकलित किए गए हैं । इन सूचकांकों का प्रयोग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कृषि में रोजगार के संबंध में न्यूनतम मजदूरी के संशोधन एवं निर्धारण हेतु किया जाता है ।कृषीय श्रमिकों के लिए सूचकांक तथा मुद्रा स्फीती सारणी 18..2 में दर्शाई गई है । 55 वें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण चक्र (1999-2000) के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के आधार पर भारण प्रतिमान की व्युत्पत्ति प्रगति पर है ।

(ग) 31 अनिवार्य वस्तुओं के खुदरा मूल्य सूचकांक

18.10 शहरी क्षेत्रो में 31 चयनित वस्तुओं हेतु खुदरा मूल्य सूचकांक प्रत्येक माह 1982 =100 आधार पर संकलित किये जाते है। इन सूचकांकों के एकत्रण का उद्देश्य चयनित वस्तुओां के मूल्यों में उतार-चढ़ाव का प्रबोधन तथा इन मदों के मूल्यों की गति को मानीटर करना तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को यथासमय सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु भेजना है ।

18.11 द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में श्रम ब्यूरो ने ग्रामीण क्षेत्रों मे 31 अनिवार्य वस्तुओं हेतु खुदरा मूल्य सूचकांक का संकलन अप्रैल,2003 से आरम्भ कर दिया है । यह सूचकांक देश में अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों को मानीटर करने के लिए, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय हेतु अत्यावश्यक महत्व का है ।

(ध) मजदूरी दर सूचकांक

18.12 'द्वितीय व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण' के द्वारा प्राप्त आंकडों के आधार पर संकलित मजदूरी दरों का सूचकांक 1963–65=100 आधार वर्ष पर एक समय की अवधि में मजदूरी दरों में अनुभव किए गए तुलनात्मक परिवर्तन की गति को चित्रित करता है । ये सूचकांक तीन क्षेत्रों में इक्कीस चयनित उद्योगों में कर्मकारों हेंतु संकलित किए जाते हैं । प्रत्येक क्षेत्र में कुल रोजगार के सम्मिलित उद्योंगों का क्षेत्रवार विवरण और सम्मिलित कर्मकारों की प्रतिशतता नीचे दी गई है:–

क्षेत्र	उद्योगों की सं0	क्षेत्र में कुल रोजगार में शामिल की गई कर्मकारों की संख्या
खनन	4	95
विर्निमाण	14	67
बागान	3	100

18.13 ये सूचकांक मूल मजदूरी और मंहगाई भत्ते पर आंकडों का उपयोग करतें हुए संकलित किए गए है।, जोकि भारत में संगठित क्षेत्र में गारंटी और नियमित स्वभाव के उपार्जन हैं ।मजदूरी दर सूचकांक वर्ष 1999 तक संकलित कर लिए गए है । वर्ष 2000 के लिए आंकडों की प्रक्रिया और मजदूरी दरों के सूचकांक का संकलन प्रगति में हैं । चयनित 21 उद्योगों में (1960 मूल्य पर) मजदूरी दर सूचकांक, परिशुद्ध मजदूरी दरों और वास्तविक मजदूरी दरों की सूचना सारणी 18.3 में दी गई है ।

(ii) वैधानिक और स्वैच्छिक विवरणियां

18.15 श्रम ब्यूरो, श्रम के विभिन्न पहलुओं पर श्रम आंकडे एकत्रित, संकलित एवं प्रसारित करता है, जोकि विभिन्न श्रम अधिनियमों की व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारियों से प्राप्त वार्षिक वैधानिक विवरणियों पर आधारित होते हैं और प्रत्येक माह राज्य एवं केन्द्रीय श्रम विभागों के द्वारा औद्योगिक विवादों, बंद, अस्थाई छंटनी और छंटनी पर स्वैच्छिक आंकडे श्रम ब्यूरो को प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसाकि निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:-

क्रम सं0	वैधानिक विवरणियां	नवीनतम वर्ष जिस हेतु पुनरीक्षण प्रेषित किया गया/आंकडे प्रकाशित किए गए
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	1995 से 1997 (मिश्रित)
2.	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936	1999
3.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	1999
4.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	2001
5.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	2001
6.	दुकान और वाणिज्यिक संस्थापना अधिनियम,	2001
7.	औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946	2001
8.	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923	2001
9.	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961	2001
10.	व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926	1996-97
11.	उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (सांख्यिकी अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत संग्रहण)	2000-01
	स्वैच्छिक विवरणियां	
1.	(क) बंद, (ख) छंटनी और (ग) अस्थायी छंटनी	2001
2.	भारत में औद्योगिक विवाद	2001

(ii) क्षेत्र सर्वेक्षण और अध्ययन रिपोर्टे

18.16 जैसा कि आवधिक विवरणियों से संकलित आंकडे श्रम के क्षेत्र में योजना और नीति निर्माण हेतु पूरी सूचना और आवश्यकताओं की पूति नहीं करते हैं, ब्यूरो द्वारा नियोजन,मजदूरी और उपार्जन,अर्थ–व्यवस्था के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मकारों की कार्य और जीवन–निर्वाह अवस्थाओं पर आवधिक/तदर्थ सर्वेक्षण संचालित किए जाते है, ताकि श्रम सांख्यिकी की उपलब्धता के अन्तराल को पूरा किया जा सके ।

(क) ग्रामीण श्रम जांच

18.17 इस विषय पर आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा इसके पंचवर्षीय आधार पर किए जाने वाले सर्वे सामान्य उपभोग व्यय एवं नियोजन और बेरोजगारी सर्वेक्षण के एक भाग के तौर पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं । अद्यतन वर्ष 1999–2000 के दिए गए हैं । सर्वेक्षण के निष्कर्षो पर प्रकाशन और रिपोर्टे तैयार करने की जिम्मेदारी श्रम ब्यूरो की है, जो ग्रामीण श्रम परिवारों के भिन्न–भिन्न पहलुओं अर्थात् (i) ऋणभार, (ii) उपभोग व्यय, (iii) मजदूरी और उपार्जन, (iv) नियोजन और बेरोजगारी तथा (v) सामान्य विशेषताओं पर रिपोर्टें प्रकाशित करता है । ग्रामीण श्रम जांच (1999–2000) की "मजदूरी एवं उपार्जन " तथा " सामान्य विशेषताओं" पर रिपोर्ट जारी कर दी गई है । ग्रामीण श्रम जांच (आर.एल.ई.) के माध्यम से एकत्रित उपभोग व्यय आंकडों का उपयोग कृषीय और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उ.मू.सू.(सी.पी.आई.) की श्रृंखला के निर्माण हेतु भारण प्रतिमानों की व्युत्पत्ति के लिए किया जाता है ।

18.18 इस स्कीम के अन्तर्गत श्रम ब्यूरो ने 18 कृषीय और गैर–कृषीय व्यवसायों का 600 प्रतिदर्श ग्रामों से जनवरी 2004 तक प्रत्येक माह नियमित रूप से मजदूरी दर के आंकडों का संकलन किया तथा इंडियन लेबर जनरल में प्रकाशित किया । इन आंकडों का उपयोग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के कार्यान्वयन की सीमा का पता लगाने हेतु किया जाता है । ये आंकडे उपयुक्त नीतियां तैयार करने और लागत अध्ययनों के लिए कार्यक्रम संचालन हेतु तथा राष्ट्रीय/राज्य की आय का अनुमान लगाने के लिए भी अत्यधिक उपयोगी है ।

(ख) व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण

18.19 व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण 1958–59 से संचालित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य अन्त: और इंट्रा उद्योग मजदूरी भिन्नता,मजदूरी दर सूचकांक संख्याओं के आधार का संशोधन, और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कर्मकारों हेतु समान पारिश्रमिक से संबद्ध उपबन्धों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन हेतु अपेक्षित आंकडे/सूचना उपलब्ध कराना है:–

18.20 सर्वेक्षण का पांचवां चक्र जिसमें 53 उद्योगों पर विचार किया को 1993 में प्रारम्भ किया गया था ।सभी 53 उद्योगों से संबद्ध नौ रिपोर्टें जो इस दौर के अर्न्तगत आती हैं, जारी कर दी गई हैं। व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (ओ.डबल्यू.एस-) के छठे चक्र में 4 सेवा क्षेत्र उद्योगों सहित 56 उद्योगों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है । 4 सेवा क्षेत्र उद्योग यानी रेलवे, सार्वजनिक मोटर परिवहन, विद्युत उत्पादन और वितरण तथा पत्तन और डाक से संबद्ध आंकडे एकत्रित करने हेतु क्षेत्र सर्वेक्षण

(ग) अनुबंध श्रम सर्वेक्षण

18.21 अनुबंध श्रम सर्वेक्षण भिन्न–भिन्न उद्योगों में नियोजित अनुबंध श्रमिकों, जिनमें ऐसे श्रमिकों की उच्च प्रतिशतता है, की कार्य अवस्थाओं की समस्याओं की सीमा और प्रकृति के अध्ययन हेतु संचालित किए जाते हैं । इन सर्वेक्षणों के अन्तर्गत नियोजन, मजदूरी और उपार्जन, कार्य अवस्थाओं, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों पर सूचना केवल कार्यालय के उपयोग हेतु एकत्रित, विश्लेषित एवं प्रसारित की जाती है । 39 उद्योगों में किए गए 44 सर्वेक्षणों की रिपोर्ट जारी कर दी गई है ।

(घ) श्रम के भिन्न–भिन्न खण्डों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण

18.22 इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की कार्य एवं जीवन निर्वाह स्थिति, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन की जांच के अध्ययन के साथ साथ अनुसूचित जाति/जन–जाति कर्मकारों एवं महिला कर्मकारों पर सर्वेक्षण आयोजित करना है । श्रम ब्यूरो द्वारा पूर्व में 8 अनुसूचित जाति तथा 7 अनुसूचित जन–जाति सर्वेक्षण आयोजित किए जा चुके हैं । एक अन्य सर्वेक्षण जयपुर (अनुसूचित जाति) केन्द्र में पूरा कर लिया गया है तथा आंकड़ों की प्रक्रिया प्रगति पर है । मध्यप्रदेश में बीड़ी संस्थापनाओं में संचालित अध्ययन पर रिपोर्ट जारी कर दी गई हैं । लाईसैंस शुदा रेलवे कुलियो की समाजार्थिक स्थिति पर एक अन्य सर्वेक्षण संचालित किया और पूरा कर लिया गया है तथा रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है ।

(iii) श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण

18.23 ब्यूरो, सांख्यिकीय आंकडों के प्रवाह में गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार के उद्देश्य से श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करता है । ब्यूरो का कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय भी भिन्न–भिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक इकाइयों के लाभ हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने में तकनीकी सहायता देता है । ब्यूरो ने 16 अक्तूबर से 21 अक्तूबर, 2003 तक केन्द्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किया, जिसमें भिन्न–भिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया । भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आई.ई.एस. /आई.एस.एस.) परिवीक्षार्थियों के साथ ही अन्तरराष्ट्रीय सांख्यिकीय केन्द्र (आई.एस.ई.सी.), कलकत्ता के विदेशी सहभागियों के लिए और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी.एस.ओ.) के द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों के लिए सांख्यिकी में कनिष्ठ/वरिष्ठ प्रमाण–पत्र (जे.सी.सी.एस./एस.सी.सी.एस.) के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं ।

iv) प्रकाशन

18.24 ब्यूरो ने सांख्यिकीय कार्य, अध्ययन तथा सर्वेक्षणों पर आधारित बहुत से प्रकाशन जारी किए हैं । ब्यूरो के वर्ष 2003–04 के प्रकाशन नीचे बाक्स में दिए गए है :–

1. इण्डियन लेबर जरनल (मासिक)
2. इण्डियन लेबर इयर बुक 2002–2003 (संयुक्त)
3. श्रम सांख्यिकी–लघु पुस्तिका 2001–2002 (संयुक्त)
4. भारतीय श्रम सांख्यिकी 2002–2003 (संयुक्त)
5. औद्योगिक कर्मकारों के लिए उ.मू.सू. वर्ष 2002 वार्षिक रिपोर्ट ।
6. कृषीय और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उ.मू.सू. वर्ष 2001–2002 वार्षिक रिपोर्ट ।
7. मध्य प्रदेश में बीडी निर्माण संस्थापनाओं में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन पर मूल्यांकन
अध्ययनों पर रिपोर्ट ।
8. भारत में 2001 के दौरान उद्योगों में बंद, छंटनी और अस्थाई छंटनी पर सांख्यिकी ।
9. ग्रामीण भारत में मजूदरी दरें 2001–2002
10. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 की क्रियाशीलता पर 2000 के लिए पुनरीक्षण ।
11. दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापना अधिनियम की क्रियाशीलता पर 2000 के लिए पुनरीक्षण ।
12. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की क्रियाशीलता पर 2000 के लिए पुनरीक्षण ।
13. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की क्रियाशीलता पर 2000 के लिए पुनरीक्षण ।
14- मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 की क्रियाशीलता का 2000 का पुनरीक्षण ।
15. बागान श्रम अधिनियम, 1951 की क्रियाशीलता पर वर्ष 2000 की रिपोर्ट ।
16. भारत में व्यवसाय संघ 1996 और 1997सार रिपोर्ट (संयुक्त)।
17. ग्रामीण श्रम परिवारों की मजदूरी और उपार्जन पर ग्रामीण श्रम जांच (आर.एल.ई.) रिपोर्ट (1999–2000) ।
18. ग्रामीण श्रमिक परिवारों की सामान्य विशेषताओं पर आर0एल0ई0 रिपोर्ट (1999-2000)
19. वर्ष 2002–2003 के लिए ग्रामीण भारत में मजदूरी दरें ।
20. नियोजन और श्रम लागत (जनगणना क्षेत्र) पर ए.एस.आई. सार रिपोर्ट (1998–99)।
21. वर्ष 2001 हेतु भारत में औद्योगिक विवाद ;
22. नियोजन और श्रम लागत (प्रतिदर्श क्षेत्र) पर ए.एस.आई. सार रिपोर्ट (1998–99) ।
23. अनुपस्थिति, लेबर टर्न ओवर, नियोजन और श्रम लागत (प्रतिदर्श क्षेत्र) पर एएसआई रिपोर्ट (1999-2000)
24. नियोजन और श्रम लागत (प्रतिदर्श क्षेत्र) पर ए.एस.आई. सार रिपोर्ट (2000–2001) ।
25. नियोजन और श्रम लागत (जनगणना क्षेत्र) पर ए.एस.आई.वालयूम 1 (2000–2001)
26. पांच चयनित केन्द्रो पर लाईसैंस शुदा रेलवे कुलियों की समाजार्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ।
27. भारत में व्यवसाय संघ 1996 और 1997(संयुक्त) ।
28. श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका 2000 और 2003 (संयुक्त)।

रणी 18.1

औद्योगिक कर्मकारों हेतु सम्पूर्ण भारत उ.मू.सू. पर आधारित वार्षिक मुद्रा–स्फीति की दर (1982= 100)

	1999 -2000		**2000 -01**		**2001-02**		**2002 -03**		**2003-04**	
माह	सूचकांक	मुद्रा स्फीती की दर @	सूचकांक	मुद्रा स्फीती की दर @	सूचकांक	मुद्रा स्फीती की दर @	सूचकांक	मुद्रा स्फीती की दर @	सूचकांक	मुद्रा स्फीती की दर @
अप्रैल	415	8.36	438	5.54	448	2.28	469	4.69	493	5.12
मई	419	7.71	440	5.01	451	2.50	472	4.66	494	4.66
जून	420	5.26	442	5.24	457	3.39	476	4.16	497	
जुलाई	424	3.16	445	4.95	463	4.04	481	3.89	501	4.16
अगस्त	426	3.15	443	3.99	466	5.19	484	4.86	499	3.10
सितम्बर	429	2.14	444	3.50	465	4.73	485	4.30	499	2.89
अक्तूबर	437	0.92	449	2.75	468	4.23	487	4.06	503	3.29
नवम्बर	438	0.00	450	2.74	472	4.89	489	3.60	504	3.07
दिसम्बर	431	0.47	446	3.48	469	5.16	484	3.20	502	3.72
जनवरी	431	2.62	445	3.25	467	4.94	483	3.43	504	4.35
फरवरी	430	3.61	443	3.02	466	5.19	484	3.86	504	4.13
मार्च	434	4.83	445	2.53	468	5.17	487	4.06	-	-
	428	**3.38**	**444**	**3.74**	**463**	**4.28**	**482**	**4.10**	**500***	**3.73***

ध्यान दीजिए–@पिछले वर्ष के अनुरूप माह के आंकडों में वृद्धि प्रतिशतता ।

सारणी 18.2

**कृषि कर्मकारों के लिए सम्पूर्ण भारत उ.मू.सू. पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (आधार 1960–61= 100तथा
आधार 1986–87=100)**

माह	1999 - 2000		2000 - 01		2001 - 02		2002 - 03		2003 - 04	
	सूचकांक	मुद्रा स्फीति की दर @	सूचकांक	मुद्रा स्फीति की दर @	सूचकांक	मुद्रा स्फीति की दर @	सूचकांक	मुद्रा स्फीति की दर @	सूचकांक	मुद्रा स्फीति की दर @
अप्रैल	295	8.06	307	4.07	301	-1.95	309	2.66	326	5.50
मई	298	7.97	310	4.03	303	-2.26	311	2.64	327	5.14
जून	301	6.74	310	2.99	306	-1.29	314	2.61	330	5.10
जुलाई	304	5.19	310	1.97	309	-0.32	316	2.27	331	4.75
अगस्त	308	5.12	308	0.00	312	1.30	319	2.24	331	3.76
सितम्बर	310	4.38	306	-1.29	311	1.63	321	3.22	332	3.43
अक्तूबर	315	3.62	305	-3.17	313	2.62	322	2.88	333	3.42
नवम्बर	316	1.94	306	-3.16	313	2.29	323	3.19	333	3.10
दिसम्बार	311	1.97	303	-2.57	312	2.97	321	2.88	332	3.43
जनवरी	307	2.68	301	-1.95	308	2.33	320	3.90	332	3.75
फरवरी	306	3.03	299	-2.29	308	3.01	322	4.55	332	3.11
मार्च	306	3.38	300	-1.96	309	3.00	324	4.85	332	2.47
	306	**4.44**	**305**	**-0.33**	**309**	**1.31**	**318**	**2.91**	**331**	**4.09**

@ पिछले वर्ष के अनुरूप माह के आंकडों में प्रतिशतता की वृद्धि

सारणी 18.3

वर्ष 1996 से 1999 तक (जनवरी के अनुरूप) के दौरान मजदूरी दर सूचकांक, परिशुद्ध मजदूरी दर और वास्तविक मजदूरी दर

क्र0सं0	उद्योग	मजदूरी दर सूचकांक परिशुद्ध (1963 – 65=100)				मजदूरी दर और (तात्कालिक मूल्य पर)				वास्तविक मजदूरी दर (1960 मूल्य पर)			
		1`996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999
क–	विनिर्माणउद्योग	2133.5	2357 0	2687.6	2989.9	101.17	101.90	127.28	141.64	6.14	6.34	6.37	6.78
1.	सूती वस्त्रोद्योग	1631.0	1782.1	2196.5	2443.7	88.77	96.99	119.22	132.76	5.39	5.50	5.97	6.35
2.	सिमेंट	2853.7	3330.9	3559.3	3945.8	128.52	150.01	160.30	177.71	7.80	8.50	8.03	8.50
3.	सिग्रेट कारखानें	2354.6	2415.4	2748.4	3059.8	115.45	118.71	134.79	150.06	7.01	6.73	6.75	7.18
4.	हाईड्रोजनेटिड तेल	2200.7	2316.5	2624.6	2820.4	112.45	118.36	134.11	144.12	6.83	6.71	6.72	6.90
5.	जूट वस्त्रोद्योग	2720.1	3024.7	3251.0	3619.8	100.16	111.37	119.88	133.24	6.08	6.31	5.99	6.38
6.	विद्युतीय मशीनरी	2400.9	2639.2	3086.5	3461.0	121.77	133.86	156.54	175.54	7.39	7.58	7.84	8.40
7.	माचिस कारखानें	1680.7	1764.0	2004.7	2080.7	57.59	60.45	68.70	71.30	3.50	3.42	3.44	3.41
8.	कागज/कागज उत्पाद	2525.0	2745.1	3061.6	3354.6	93.89	102.08	113.84	124.74	5.70	5.78	5.70	5.97
9.	रेलवे वर्कशापें	2688.0	3187.7	3497.6	3899.4	146.44	174.96	191.99	214.04	8.89	9.91	9.61	10.24
10.	गलाना और शोधन	2223.8	2251.1	2389.7	2682.2	114.91	116.32	123.48	138.59	6.98	6.59	6.18	6.63
11.	साबुन कारखानें	2625.4	2851.3	3143.0	3348.0	134.66	146.6	161.21	171.72	8.18	8.28	8.07	8.22
12.	चीनी	3029.0	3281.1	3472.1	3904.7	100.99	109.39	115.71	130.08	6.13	6.20	5.79	6.22
13.	रेशम वस्त्रोद्योग	1790.0	1998.3	2280.8	2470.7	102.33	114.42	104.20	112.91	6.21	6.48	5.22	5.46
14.	ऊनी वस्त्रोद्योग	1553.0	1688.5	1827.6	1994.2	78.75	84.60	91.69	100.04	4.78	4.79	4.59	4.79
ख.	खनन उद्योग	3204.7	3470.6	3832.1	4275.8	135.17	146.30	161.81	180.94	8.21	8.29	8.10	8.66
15.	कोयला खानें	3281.9	3546.2	3932.0	4410.7	147.33	159.19	176.51	197.99	8.95	9.02	8.84	9.47
16.	लौह अयस्क खानें	2743.7	3087.6	3301.9	3569.1	83.76	94.24	101.04	109.21	5.09	5.34	5.06	5.23
17.	मैंगनीज खानें	3137.1	3334.4	3610.0	3868.2	64.22	68.26	73.90	79.19	3.90	3.87	3.70	3.79
18.	अभ्रक खानें	1908.5	2205.3	2349.7	2555.7	42.59	49.22	59.32	56.91	2.59	2.79	2.62	2.72
ग.	बागान उद्योग	1324.7	1489.5	1734.1	1892.5	29.63	33.32	38.06	41.56	1.80	1.89	1.91	1.99
19.	कॉफी बागान	2405.1	2706.0	2935.9	3215.9	37.73	42.45	46.06	50.45	2.29	2.41	2.31	2.41
20.	रबड बागान	2866.5	3329.6	3633.2	3885.4	51.92	60.30	65.80	70.37	3.15	3.42	3.29	3.37
21.	चाय बागान	1165.1	1307.1	1551.8	1694.3	28.16	31.61	36.45	39.83	1.71	1.79	1.83	1.91
	सभी उद्योग	**2039.0**	**2249.7**	**2556.1**	**2833.3**	**82.48**	**90.87**	**102.63**	**114.09**	**5.01**	**5.15**	**5.14**	**5.46**